भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1269

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

नए दत्तक ग्रहण केंद्र

1269. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में गोद लेने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है;
(ख) देश में बच्चों को गोद लेने के लिए माता-पिता को औसत कितनी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है;
(ग) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक जिले में दत्तक ग्रहण केंद्र बनाने के सुझाव को स्वीकार करने का विचार रखती है; और
(घ) देश में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : 6 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चों को गोद लेने में काफी कम समय लगता है क्योंकि इसके लिए एक स्वचालित रेफरल प्रणाली मौजूद है और बच्चे के विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित होते ही उसे गोद ले लिया जाता है। दूसरी तरफ, इसके लिए भावी दत्तक माता-पिता को प्रतीक्षा करनी होती है क्योंकि इस प्रकार के बच्चे की उपलब्धता बड़ी संख्या में प्रतीक्षारत माता-पिता की तुलना में सीमित होती है।

(ख) : यह कई कारकों जैसे कि बच्चे के आयु समूह का चयन, लिंग और राज्य आदि पर निर्भर करता है। हालांकि भावी दत्तक माता-पिता किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या, तुरन्त गोद लिए जाने की श्रेणी में उपलब्ध किसी बड़ी उम्र के बच्चे को किसी भी समय सीधे ही आरक्षित कर सकते हैं तथापि चार वर्ष से कम आयु के किसी भी स्वस्थ बच्चे को गोद लेने में लगभग तीन वर्ष तक का समय लग जाता है।

(ग) : प्रत्येक जिले में दत्तकग्रहण केन्द्र बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है।

(घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 23 सितम्बर 2022 को दत्तकग्रहण विनियम 2022 अधिसूचित किया है जो कि किशोर न्याय (बालकों की रेखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) के अनुरूप बनाए गए हैं। ये दत्तकग्रहण विनियम 2022 दत्तकग्रहण अभिकरणों तथा भावी दत्तक माता पिता (पीएपी) सहित केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) तथा अन्य हितधारकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे।

इसकी कुछ विशेषताओं में निम्नलिखत विशेषताएं शामिल हैं; (i) न्यायालय के बजाय जिला मेजिस्ट्रेटों को दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाया गया है। (ii) भावी दत्तक माता-पिता यदि 2 वर्ष से कम के किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो दम्पत्ति के लिए आयु को कम करके 85 वर्ष तक तथा अकेले भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु को कम करके 40 वर्ष तक कर दिया गया था, (iii) निवासी भारतीय (आरआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई), भावी माता-पिता के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा 7 दिवसीय दत्तकग्रहण प्रयासों की शुरूआत की गई, (ix) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के आधार पर बालक की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को निर्धारित करेगा; (v) दो बच्चों से अधिक बच्चों वाले भावी माता-पिता अपने सामान्य बच्चे के लिए रेफरल प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं; (vi) पूर्व दत्तकग्रहण, दत्तकग्रहण तथा दत्तकग्रहण के बाद के स्तरों पर संबंधित हितधारकों जैसे कि भावी दत्तक माता-पिता और बड़े बच्चों के लिए अनिवार्य परामर्श की व्यवस्था की गई है। (vii) विभिन्न स्तरों पर समय-सीमा जैसे कि दस दिन के भीतर एलएफए (दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र) अपलोड करना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 15 दिन की अवधि के भीतर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे की जांच करना और पांच दिन के भीतर जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) द्वारा दत्तकग्रहण आवेदन दस्तावेजों का सत्यापन करना; (viii) दो वर्ष की अवधि के पश्चात पहले से ही पोषक देख-रेख में रहने वाले दत्तकग्रहण योग्य बच्चे के पोषक दत्तकग्रहण पर बल देना; और (ix) दुर्घटना या डिसोल्यूशन का कारण बनने वाले भावी दत्तक माता-पिता के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथासंशोधित) के नियम 45 में उल्लिखित है कि न्यायालय के समक्ष लम्बित दत्तकग्रहण के मामलों से संबंधित सभी मामले, इन नियमों के आरम्भ होने

की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित हो जाएंगे। दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की अधिसूचना के पश्चात, दत्तकग्रहण आदेशों की लम्बितता में 997 की पूर्व लम्बितता (अधिसूचना की तारीख से पूर्व) से 106 तक की कमी आ गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष गोद लेने के लिए आवेदन दायर करने की तारीख से 2 महीने के निर्धारित मानदंडों के भीतर गोद लेने के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सीएआरए ने दत्तकग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न स्तरों पर होने वाली देरी को कम करने के लिए बनाई गई एक सुदृढ़ वेब-आधारित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सम्पर्क बनाने तथा लिंक सृजित करने के लिए बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना तथा दिशा-निदेशन प्रणाली (सीएआरआईएनजीएस) नामक एक ऑनलाइन दत्तकग्रहण प्लेटफार्म तैयार किया है। इस सीएआरआईएनजीएस पोर्टल को और भी अधिक सरल बना दिया गया है। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकास मूलक पहलों के जरिए और अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित (ओएएस) बच्चे के दत्तकग्रहण तथा रिश्तेदार/स्टेप दत्तकग्रहण एवं पोषक देखरेख के माध्यम से दत्तकग्रहण के संबंध में जागरूकता पैदा करके दत्तकग्रहण संबंधी मामलों को सक्रियता से प्रोत्साहित कर रहा है।

*****